राजस्थान सरकार
बिधि एवं विधिक कार्य बिंदग

कानून 20(168) व्याव/2016

जयपुर दिनांक

:: आदेश ::

नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का क़ंद्रीय अधिनियम सं. 53) की धारा 3 सम्पूर्ण धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार जिला विलोड़मार, बड़ी साधारण क्षेत्र के लिए श्री ऊँची लव गुप्ता, अधिवक्ता को एलाहाबाद नोटेरी नियुक्त करती है।

उक्त नियुक्ति निर्धारित शुल्क रूपमे 2,000/-((अकेले दो हज़ार तुर्की मात्र) रजस्तान में जमा करने, बार कॉन्सिल तथा बार एसोसिएशन का वास्तविक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर नोटेरी अधिकार प्रमाण पत्र (certificate of Practice) की वैधता जारी करने की लिहित से पांच वर्ष के लिए होगी।

आदेश से,

(महावीर प्रसाद शासी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रसिद्ध है—

1. लोकसेवक जनरल, विधि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. विधि सचिव, बार निदेश, राजस्थान, जयपुर।
3. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, जिल्ला जयपुर।
5. जिला एवं सीमा न्यायाधीश, जिल्ला जयपुर।
6. राजस्थान राजन उच्च न्यायालय, जयपुर।
7. राजस्थान अजीब, अजीब।

8. सचिव, राजस्थान बिंदगार, जयपुर।
9. विधि सचिव, जिल्ला जयपुर।
10. विधि सचिव, बार एसोसिएशन, बड़ी साधारण।
11. श्री ऊँची लव गुप्ता, अधिवक्ता को उनके आवेदन पत्र में अक्षर पते पर अपेक्षित कर लेते हैं कि वह चालू विलोड़क वर्ग के लेख नं. 0070—अन्य प्रशासनिक सूचना, 01—व्याव शासन, 501—सूचना, एवं सूचना, 01—उच्च न्यायालय, 00—悲士 के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क रूपमे 2,000/-—से दो हज़ार तुर्की बार के वास्तविक प्रमाण पत्र (certificate of Practice) की वैधता जारी करने की अपेक्षा करने के लिए होगी।

(i) यह राजस्थान बार कॉन्सिल, जयपुर में अधिवक्ता के रूप में एनरोल्ड है।
(ii) उनके विरुद्ध कोई आरोपण संबंधी जाँच/शिकायत लम्बित अवधार प्रस्तावित नहीं है।
(iii) वह आवेदित क्षेत्र में न्यास एवं स्थानीय न्यायालयों में प्रेक्षक रूपमे करते हैं तथा नोटेरी के रूप में नियुक्ति किये जाने हेतु पात्र है।

उक्त बालाधार, राजस्थान बार कॉन्सिल, जयपुर तथा संबंधित अभिमानक संघ में प्रमाण पत्र इस विभाग में प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। आपके विभाग में प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में अक्षर पते के गलत पात्र जाने पर आपकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

14. प्रोग्रामार, विधि विभाग को विमानगार वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15. रक्षक पत्राधीन।

(महावीर प्रसाद शासी)
प्रमुख शासन सचिव

11 सेप्टेंबर 2018